



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165190

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7548 वर्ष 2026

राजवीर कौर

.....आवेदिका(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदिका(गण) के लिए अधिवक्ता	:	राहुल सक्सेना, राकेश पति तिवारी
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 85 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला बरेली के संबंध में अवर न्यायालय में विचारण के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

3. आवेदिका के अधिवक्ता ने कहा कि आवेदिका पूरी तरह निर्दोष है और उसे किसी परोक्ष हेतुक से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदिका ने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उसने सूचनाकर्ता से कोई राशि नहीं ली है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप हैं। आवेदिका के पास से या उसके द्वारा बताई गई कोई भी चीज बरामद नहीं हुई है। इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथम सूचनाकर्ता ने झूठे और निराधार आरोपों के साथ दर्ज कराई है और आवेदिका ने प्रथम सूचनाकर्ता के साथ कोई जालसाजी/धोखाधड़ी नहीं की है। वास्तव में, प्रथम सूचनाकर्ता ने आवेदिका को विदेश भेजने के लिए उससे 20 लाख रुपये लिए थे और कुछ समय बाद वीजा न मिलने के कारण वह विदेश नहीं जा सकी। जब आवेदिका ने अपने पैसे वापस मांगे, तो प्रथम सूचनाकर्ता ने कुल 8 लाख रुपये लौटा दिए, लेकिन शेष 12 लाख रुपये आवेदिका को नहीं लौटाए। सूचनाकर्ता ने आवेदिका के साथ यौन उत्पीड़न भी किया है। जब उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद आवेदिका ने धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदिका 27.12.2025 से जेल में दिन काट रही है। यह भी बताया गया है कि जमानत मिलने पर आवेदिका वचन देती है कि वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी। यह भी बताया गया है कि न्यायालय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, विचारण के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

4. जमानत आवेदन का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया है।
5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि विचारण के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
6. इसलिए, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**
7. उपरोक्त मामले में आवेदिका, **राजवीर कौर** को उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दो जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i). आवेदिका विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।
 - (ii). आवेदिका अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगी/ उन्हें डराएगी नहीं।
 - (iii). आवेदिका निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
 - (iv). आवेदिका ऐसा कोई अपराध नहीं करेगी जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(v). आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

8. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पहले संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां किए गए संप्रेक्षण जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त संप्रेक्षणों का विचारण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

5 अगस्त, 2026

वी.के. उपध.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”